2016 का विधेयक संख्यांक 167

[दि इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह 24 मई, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

नई धारा 10घ का अंत:स्थापन ।

1956 का 102

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर के लिए एकसमान प्रवेश परीक्षा ।

"10घ. स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के लिए सभी आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं के लिए ऐसे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से हिन्दी, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक एकसमान प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्वोक्त रीति में एकसमान प्रवेश परीक्षा के संचालन को सुनिश्चित करेगा :

परंतु किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी इस धारा के उपबंध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार शैक्षिक वर्ष 2016-17 के लिए संचालित स्नातक पूर्व स्तर पर किसी एकसमान प्रवेश परीक्षा के संबंध में राज्य सरकार के स्थानों को (चाहे सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या प्राइवेट आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में हों), जहां ऐसे राज्य ने ऐसी परीक्षा के लिए विकल्प नहीं दिया है, लागू नहीं होंगे ।

धारा 33 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 33 में खंड (डक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(डख) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अन्य भाषाएं और स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं में एकसमान प्रवेश परीक्षा संचालित करने की रीति ;"।

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का निरसन किया जाता है । 2016 का अध्यादेश सं0 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1956 का 102

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (परिषद्) का पुनर्गठन करने के लिए और भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर बनाए रखने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम परिषद् पर संपूर्ण देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का उत्तरदायित्व प्रदत्त करता है । इस उत्तरदायित्व के अनुसरण में परिषद् अध्ययन पाठ्यक्रम, ऐसी अर्हता के लिए दी जाने वाली परीक्षा और परीक्षाओं के निरीक्षण आदि से संबंधित विषयों पर केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें करती हैं ।

3. सभी अभ्यर्थियों के लिए स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं के लिए एकसमान प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए परिषद् ने क्रमश: स्नातक आयुर्विज्ञान विनियम, 1997 और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 2000 को संशोधित करके एक प्रवेश परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को अधिसूचित किया था ।

4. संपूर्ण देश में विभिन्न न्यायालयों में अनेक संस्थाओं और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने एनईईटी के विरुद्ध अनेक मामले फाइल किए थे । परिषद् के अनुरोध पर उक्त मामलों को माननीय उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दिया गया था । तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 18 जुलाई, 2013 के अपने आदेश द्वारा उक्त विनियमों को अभिखंडित कर दिया था ।

5. चूंकि सरकार का यह दृढ़ मत था कि एनईईटी समाज और आयुर्विज्ञान का अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के बृहतर हित में होगा, केंद्रीय सरकार और परिषद् ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कतिपय पुनर्विलोकन याचिकाएं फाइल की थी । माननीय न्यायालय ने 11 अप्रैल, 2016 के अपने आदेश द्वारा इन पुनर्विलोकन याचिकाओं को अनुज्ञात किया और 8 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय को वापस ले लिया और निदेश दिया कि मामले की नए सिरे से सुनवाई की जाए । इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 261/2016, जो संकल्प पूर्त न्यास और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा फाइल की गई थी, में अपने तारीख 28 अप्रैल, 2016 और 9 मई, 2016 के आदेशों द्वारा निदेश दिया कि एनईईटी (स्नातक पूर्व) तुरंत प्रभावी होगा । इसने यह भी निदेश दिया था कि अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा, 2016 (एआईपीएमटी) 1 मई, 2016 को आयोजित की जाए, जो एनईईटी का पहला चरण होगा और एनईईटी का दूसरा चरण 24 जुलाई, 2016 को आयोजित किया जाएगा तथा दोनों परीक्षाओं का संयुक्त परिणाम 17 अगस्त, 2016 को घोषित किया जाएगा ।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एनईईटी सभी स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए तुरंत प्रभाव से आज्ञापक हो गया है । तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने उन राज्य सरकारों द्वारा सामना की जा रही निम्नलिखित कठिनाईयों के आलोक में इंगित किया कि वर्ष 2017-18 से न कि वर्ष 2016-17 से स्नातक-पूर्व प्रवेश के लिए संपूर्ण देश में एनईईटी आयोजित करना विद्यार्थी समुदाय के

बृहतर हित में होगा :

(i) प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय परीक्षाएं पहले ही संचालित कर ली गई हैं और विद्यार्थियों को दूसरी परीक्षा में उपस्थित होना होगा ;

(ii) राज्य परीक्षाएं प्रादेशिक भाषाओं में भी संचालित की जाती हैं । यह समुचित नहीं होगा कि सभी विद्यार्थी हिन्दी और अंग्रेजी में परीक्षा दें, विशिष्टतया तब जब एनईईटी चरण-2 परीक्षा के लिए केवल दो मास रह गए हैं ; और

(iii) राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम एआईपीएमटी से भिन्न है, जो कि एनईईटी चरण-2 परीक्षा का आधार होने जा रहा है ।

7. तदनुसार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में कतिपय संशोधन करने का विनिश्चय किया गया था । चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और राज्य सरकारों के अभ्यावेदनों और 24 जुलाई, 2016 के लिए अनुसूचित एनईईटी की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक था, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 2016 को प्रख्यापित किया गया था ।

8. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2016 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :--

(क) स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के लिए सभी आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं के लिए ऐसे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से हिन्दी, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक एकसमान प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए अधिनियम में नई धारा 10घ अंत:स्थापित करना ;

(ख) उक्त धारा में एक नया परंतुक अंत:स्थापित करना ताकि यह उपबंध किया जा सके कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी इस धारा के उपबंध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम के अनुसार शैक्षिक वर्ष 2016-17 के लिए संचालित स्नातक पूर्व स्तर पर किसी एकसमान प्रवेश परीक्षा के संबंध में राज्य सरकार के स्थानों को (चाहे सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या प्राइवेट आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में हों), जहां ऐसे राज्य ने ऐसी परीक्षा के लिए विकल्प नहीं दिया है, लागू नहीं होंगे ;

(ग) अधिनियम की धारा 33 का संशोधन करना ताकि परिषद् को एकसमान प्रवेश परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी मुद्दों पर विनियम बनाने के लिए सक्षम बनाया जा सके ।

9. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 जुलाई, 2016

जगत प्रकाश नड्डा

GMGIPMRND—1544LS(CRC)—15-7-2016.